न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 264/2021 दायर दिनाँक 14.09.2021

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. रशीद खां पुत्र नजीर खां पौत्र कल्लू खां जाति पठान निवासी डीडवाना, तहसील डीडवाना, जिला नागौर राज.।	बनाम्	1. अहमद खं पुत्र कल्लू खां 2. नजीर पुत्र कल्लू खां (फौत) 3. मुन्शी खां पुत्र नजीर खां 4. गूल मोहम्मद पुत्र नजीर खां 5. परवीन बानो पुत्री नजीर खां 6. जैतुन बानो पत्नि बाबु खां 7. अयान पठान पुत्र बाबु खां 8. सिमरन बानो पुत्री बाबु खां 9. अमरीन पुत्री बाबु खां 10. आरिफ पुत्र बाबु खां (07 ता 10 जरिये नाबालिक सरक्षक माता जैतुन बानो) 11. शहजादी पत्नि हाकम अली खां समस्त जाति पठान निवासी छापरी गेट के बाहर, डीडवाना जिला नागौर राज0। 12. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर राज0।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री महेन्द्र खिलेरी वकील वादी।
2. श्री विक्रम कुड़ी वकील प्रतिवादी सं0 01, 02, 03, 04, 06 ता 11।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 24.11.2021

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि यह है कि वादी के दादा कल्लू खां के खातेदारी का खेत खसरा सं0 988 रकबा 1.01 हैक्टे0 वाकै सरहद मण्डाबासनी में अवस्थित है, जो कि पैतृक खातेदारी का खेत है।

यह है कि वादी व प्रतिवादीगण के पूर्वजों का उक्त खेत है। वादी के दादा कल्लू खां का दिनांक 11.02.1991 को देहान्त हो गया। यह है कि कल्लू खां के देहान्त के पश्चात उनके पुत्र नजीर खां का भी देहान्त हो गया है तथा पौत्र हाकम अली खां एवं बाबु खां का देहान्त भी हो गया है।

यह है कि वारिसान बशीर व मेहराज बानो ने जरिये हकतर्कनामा अपने हक अधिकार की भूमि नजीर खां को दे दी है। इस कारण खसरा सं0 688 रकबा 06 बीघा 05 बिस्वा में अब बशीर व मेहराज का कोई हक अधिकार नही रहा है।

प्रार्थना वादी इस प्रकार है–

यह है कि खेत खसरा सं0 988 रकबा 1.01 हैक्टे0 वाकै सरहद मण्डाबासनी वादी के दादा कल्लू के फौतगी ... कर वादी व प्रतिवादी संख्या 01, 03 ता 11 ... जाने की डिक्री पारित किये जाने का सादर ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 14:08:32 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with CamScanner

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। राजस्व लोक अदालतः प्रशासन गांवों के संग, में पत्रावली पेश हुई। वादी व प्रतिवादी सं0 03 व 11 ने राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 01, 02, 04 व 06 ता 10 की ओर से इकबालिया जबाब पेश हुआ। व प्रतिवादी सं0 05 बावजूद तामिल अनुपस्थित। अतः इनके खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रतिवादी सं0 02 फौत हो चूका जिसका जायन्दा वारिसान नही है व कल्लू खां के पुत्र बशीर खां तथा पुत्री मेहराज बानो जरिये हकतर्क भूमि का नजीर खां के पक्ष में तर्कनामा कर दिया है। साक्ष्य का शपथ पत्र पेश हुआ। खसरा सं0 988 रकबा 01.01 हैक्टे0 वाकै सरहद मण्डाबासनी वादी के दादा कल्लू के फौतगी नामान्तरण वारिसान के नाम दर्ज किया जाना उचित प्रतित होता है।

प्रकरण में पक्षकारान् को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया। वादी, वाद को डिक्री किया जाने का निवेदन कर रहे हैं। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

प्रकरण में किसी पक्षकार ने वाद का खण्डन नहीं किया है। अतः बाद विवचेन, दावा डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, खसरा सं0 988 रकबा 01.01 हैक्टे0 वाकै सरहद मण्डाबासनी में वर्तमान खातेदारी के स्थान पर वादी के दादा कल्लू के स्थान पर वादी व प्रतिवादीगण को निम्न प्रकार खातेदार घोषित किया जाता है।

उपरोक्त खसरा सं0 988 का 1/2 भाग जरिये हकतर्क बशीर खां व मेराज बानो ने नजीर खां के पक्ष में कर दिया। जिससे 3/4 भाग में से 1/6 भाग पर वादी व 1/6 भाग पर मुन्शी खां तथा 1/6 भाग पर गुल मोहम्मद, व 1/6 भाग पर परवीन बानो एवं 1/6 भाग पर प्रतिवादी संख्या 06 ता 10 (जैतुन बानो, अयान पठान, सिमरन बानो, अमरीन व आरिफ) (07 ता 10 जरिये नाबालिक सरक्षक माता जैतुन बानो) एवं 1/6 भाग शहजादी व 1/4 भाग पर अहमद खां के नाम राजस्व रेकर्ड अमल दरामद किया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **24.11..2021** को इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 14:08:32 IST
Reason: SelfAttested

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned with CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना

बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

वाद संख्याः 264/2021 — दायर दिनाँक 14.09.2021

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. रशीद खां पुत्र नजीर खां पौत्र कल्लू खां जाति पठान निवासी डीडवाना, तहसील डीडवाना, जिला नागौर राज.।	बनाम्	1. अहमद खं पुत्र कल्लू खां 2. नजीर पुत्र कल्लू खां (फौत) 3. मुन्शी खां पुत्र नजीर खां 4. गूल मोहम्मद पुत्र नजीर खां 5. परवीन बानो पुत्री नजीर खां 6. जैतुन बानो पत्नि बाबु खां 7. अयान पठान पुत्र बाबु खां 8. सिमरन बानो पुत्री बाबु खां 9. अमरीन पुत्री बाबु खां 10. आरिफ पुत्र बाबु खां (07 ता 10 जरिये नाबालिक सरक्षक माता जैतुन बानो) 11. शहजादी पत्नि हाकम अली खां समस्त जाति पठान निवासी छापरी गेट के बाहर, डीडवाना जिला नागौर राज0। 12. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर राज0।

दावा बाबत्

घोषणा, रेकर्ड दुरूस्ती एवं रेकर्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88, 188 R.T. Act.

दिनाँक 24.11.2021

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री महेन्द्र खिलेरी वकील वादी व श्री विक्रम कुड़ी वकील प्रतिवादी सं0 01, 02, 03, 04, 06 ता 11 की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, खसरा सं0 988 रकबा 01.01 हैक्टे0 वाकै सरहद मण्डाबासनी में वर्तमान खातेदारी के स्थान पर वादी के दादा कल्लू के [illegible] स्थान पर [illegible] वादी व प्रतिवादीगण को निम्न प्रकार खातेदार घोषित किया जाता है।

उपरोक्त खसरा सं0 988 [illegible] 1/2 भाग जरिये हकतर्क बशीर खां व मेराज बानो ने नजीर खां के पक्ष में कर दिया। जिससे 3/4 भाग में से 1/6 भाग पर वादी व 1/6 भाग पर मुन्शी खां तथा 1/6 भाग पर गुल मोहम्मद, व 1/6 भाग पर परवीन बानो एवं 1/6 भाग पर प्रतिवादी संख्या 06 ता 10 (जैतुन बानो, अयान पठान, सिमरन बानो, अमरीन व आरिफ) (07 ता 10 जरिये नाबालिक सरक्षक माता जैतुन बानो) एवं 1/6 भाग शहजादी व 1/4 भाग पर अहमद खां के नाम राजस्व रेकर्ड अमल दरामद किया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–...... बाबत ....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारी[illegible] अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 24.11.2021 [illegible] जारी की गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 14:08:32 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with CamScanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 14:08:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner